

P-18/09

यानाथान नगर

121

भाग 3 (1)]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 2011

Ujjain, Dated 9 December, 2010

No. 127/10.-The Town Development Scheme for the development of P-18/09 Transport Nagar Scheme published in Madhya Pradesh Rajpatra Part 3 (1) Page No. 400 dated 23 April, 2010 under sub section (3) of section 50 of Town and Country Planning Act, 1973 (No. 23 of 1973) and as approved under sub section (4) of section 50 of Town and Country Planning Act, 1973 is hereby published for the information of general public under sub section (7) of section 50 of the said act bearing following survey No. of gram Mendia survey No. 111/1, 111/3, 113/1, 113/3, 113/4, 113/5, 114/3, 114/4, 140/1 part, 140/2 part, 141/2 part, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 144/1 part, 144/2, 144/3, 145/3 part, 146/2/2 part, 147 part, 148/1 part, 148/2 part, 148/3 part, 148/4 part, 149 part, 150/1, 150/2/1, 150/2/2, 150/3 part, 151/1/1, 151/1/2, 151/1/3, 151/2/1, 151/2/2, 151/2/3, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 part, 154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 155/179/1, 155/179/2, 155/179/3, 155/179/4, 156, 157/1 part, 158/1, 158/2, 158/3 part, 159, 160, 161/1.

The copies of said scheme are available for inspection during office hours at the following offices namely.

1. Deputy Director, Town & Country Planning Department, Ujjain (M.P.)

2. Ujjain Development Authority, Ujjain (MP)

The said scheme P-18/09 will come into operation with effect from date of publication of this scheme in M.P. Rajpatra.

(191-A-B)

उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2011

क्र. 07/11.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा (2) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन ग्राम लालपुर, हामूखेडी, नागाझिरी, शक्करवासा के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है. जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

उत्तर पूर्व में - उज्जैन-देवास रोड

दक्षिण पश्चिम में - प्रस्तावित 45 मी. चौड़ी मास्टर प्लान रोड

उत्तर पश्चिम में - क्षिप्रा विहार योजना के अंतर्गत निर्मित 45 मी. चौड़ी सड़क

दक्षिण पूर्व में - प्रस्तावित 45 मी. चौड़ी मास्टर प्लान रोड

(192-बी.)

Ujjain, Dated 17 January, 2011

No. 07/11.—It is hereby declared and published for the information of general public Under sub section (2) of section (50) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Ujjain Vikas Pradhikaran, Ujjain intend to prepare town Development Scheme at Gram Lalpur, Nagziri, Hamukhedi and Shakkarwasa Under Following Boundary as Below :-

Noarth East— Ujjain-Dewas Road.

South West— Proposed 45 m. Wide master Plan Road

Noarth West—45 m. wide Road of Shipra Vihar Scheme

South East— Proposed 45 m. Wide master Plan Road

SHIVENDRA SINGH,
Chief Executive Officer.

(192-A-B)

उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में

संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविस्तम्ब अधोस्ताक्षरकर्ता को सौंपे और भिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उक्तकी पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सरप्टियों के दावे, आपत्तियों तथा विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी क्षर से जारी की गई.

के. पी. रैकवार,
सहाकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

विज्ञापन

स्थाओं की सूचनाएं

विकास प्राधिकरण, उज्जैन

नांक 9 दिसम्बर, 2010

म, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा-50 की उपधारा (3) के अधीन उपधारा 1) में पृष्ठ क्र. 400, दिनांक 23 अप्रैल, 2010 में जारी योजना क्र. पी-18/09 नियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा (4) के अधीन तथा अनुमोदित टांसा न की धारा-50 (7) के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस योजना क्र. 111/1, 111/3, 113/1, 113/3, 113/4, 113/5, 114/3, 114/4, 140/1, 2, 143/1, 143/2, 144/1 अंशभाग, 144/2, 144/3, 145/3 अंशभाग, 148/3 अंशभाग, 148/4 अंशभाग, 149 अंशभाग, 150/1, 150/2/1, 150/2/2, 151/2/3, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2 अंशभाग, 154/1, 154/2, 155/1, 6, 157/1 अंशभाग, 158/1, 158/2, 158/3 अंशभाग, 159, 160, 161/3.

क्षण के लिये उपलब्ध हैं:—
गपुरी, उज्जैन, मध्यप्रदेश.

के दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी.

The copies of said scheme are available for inspection during office hours at the following offices namely.

1. Deputy Director, Town & Country Planning Department, Ujjain (M.P.)
 2. Ujjain Development Authority, Ujjain (MP)
- The said scheme P-18/09 will come into operation with effect from date of publication of this scheme in M.P. Rajpattra.

(191-A-B)
उज्जैन, दिनांक 17 जनवरी, 2011

क्र. 07/11.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा (2) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन ग्राम लालपुर, हामूखेडी, नागाझिरी, शकरवासा के संबंध में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है. जिसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-

उत्तर पूर्व में	उज्जैन-देवास रोड
दक्षिण पश्चिम में	प्रस्तावित 45 मी. चौड़ी मास्टर प्लान रोड
उत्तर पश्चिम में	क्षेत्रा विहार योजना के अंतर्गत निर्मित 45 मी. चौड़ी सड़क
दक्षिण पूर्व में	प्रस्तावित 45 मी. चौड़ी मास्टर प्लान रोड

(192-बी.)

Ujjain, Dated 17 January, 2011

No. 07/11.—It is hereby declared and published for the information of general public Under Sub section (2) of section (50) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Ujjain Vikas Pradhikaran, Ujjain intend to prepare town Development Scheme at Gram Lalpur, Nagaziri, Hamukhedi and Shakkarwasa Under Following Boundary as Below :-

- Noarh East— Ujjain-Dewas Road.
- South West— Proposed 45 m. Wide master Plan Road
- Noarh West—45 m. wide Road of Shipra Vihar Scheme
- South East— Proposed 45 m. Wide master Plan Road

(192-A-B)

SHIVENDRA SINGH,
Chief Executive Officer.